न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/153/2016

उनवान

1. बाबू लाल पिता मांगू भील निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के
प्रकरण संख्या 48/2013 निर्णय दिनांक 17.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 5.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाबूनगर पटवार हल्का महेन्द्रगढ तहसील सहाडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3764/940 रकबा 1.15 है0 भूमि खातेदार विपक्षी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पटवारी हल्का महेन्द्रगढ एवं कार्यालय खनिज अभियन्ता के तकनीकी कर्मचारी की सम्मिलित टीम के जॉच के दौरान

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पाई गयी अनियमितता संबंधी रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 द्वारा कॉलम संख्या 2 में वर्णित भूमि में से अवैध खनन कर आराजी संख्या 3764/940 रकबा 1.51 है0 में से 30 गुणा 80 गुणा 4 मीटर भूमि पर से चोरी छीपे करीब 970 टन सोडा फेल्सपार वगैरह खनिज को निकाला गया । इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कारोई में ए आई आर संख्या 105/2012 से दर्ज हुई। विपक्षी द्वारा खनन कार्य करने हेतु कोई अनुज्ञा पत्र नहीं ले रखा है न ही राज्य सरकार द्वारा कोई अनुमति दी गई है जिसेस उक्त कृत्य अवैध है। विपक्षी को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य करने हेतु दी गई है परन्तु उक्त कार्य से भिन्न अवैध खन कर शर्तों का उल्लंघन करने का कृत्य किया है जो कानूनी अपराध है। विपक्षी द्वारा काश्तकारी भूमि को अकृषि भूमि प्रयोजन में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत अहितकर कार्य शर्त उल्लंघन का कृत्य किया है। जिससे धारा 178 के तहत खातेदारी अधिकार से वंचित करना उचित होगा । अतः विपक्षी द्वारा कलम नम्बर 2 में वर्णित भूमि के खातेदार है जिन्होनें कृषि भूमि में से अवैध खनन कर अहितकर कार्य किया है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत अवैध कृत्य किया है जिससे उक्त खातेदारी को समाप्त कर वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम महेन्द्रगढ तहसील सहाडा में स्थित आराजी नम्बर 3764 रकबा 1.51 है0 भूमि को जो विपक्षी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है में से अवैध खनन कर कृषि उपयोग की शतर्ज का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177

(कैलाश चन्द्र लखारा)
उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

(क) के तहत बेदखल करने के आदेश दिये तथा विपक्षी को बेदखल किया जाकर भूमि कब्जे राज सरकार ली जाकर बिलानाम सरकार दर्ज करने हेतु निर्देशित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम पाबूनगर पटवार हल्का महेन्द्रगढ की आराजी संख्या 3764/940 रकबा 1.541 है0 अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी है जो अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.5.2011 को पूर्व खातेदार शंकर लाल आत्मज धन्ना भील निवासी भीलवाडा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज हुआ और अपीलार्थी काबिज हो काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त आराजी अपीलार्थी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और अपीलार्थी ने उक्त आराजी पर कभी भी कोई खनन कार्य नहीं किया । कृषि के रूप में ही उपयोग किया है और काफी मेहनत एवं लागत खर्च कर उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कार्यालय खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 3.10.2012 को मौका पर्चा बनाया गया । उस मौके पर्चे में भी खनन कार्य नहीं होना अंकित किया गया है। मौके पर खनन करने की कोई सामग्री, मशीन औजार नहीं पाये गये।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

इस प्रकार इस प्रकार मौका पर्चा से खनन कार्य होना नहीं पाया गया । खनन विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत प्रथम सूचना दर्ज कराई गई। मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के आधार पर अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और अवैध खनन करना नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थी ने कयासी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य था । कयासी आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी को बिलानाम करने एवं अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है वह विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई रेकार्ड पत्रावली पर नहीं था जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी द्वारा अवैध खनन कार्य किया गया हो। मात्र मौका पर्चा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अवैध खनन करना मानने में विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी द्वारा जो दस्तावेज, फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की है वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं न ही उन्हें साक्ष्य से साबित भी कराया गया है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और दिनांक 17.6.2015 को एकतरफा बहस सुनने का अंकन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया है । अपीलार्थी की उपस्थिति दर्शा कर अपीलार्थी के जवाब के आधार पर ही आदेश पारित किया जाना अंकित किया है। जबकि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी कय कर कब्जा प्राप्त किया है और अपीलार्थी उक्त आराजी पर काश्त कर रहा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। अपीलार्थी को उक्त आराजी आवंटित नहीं हुई है। अपीलार्थी ने उक्त आराजी सद्भाविक तौर पर बाजार भाव से प्रफिल अदाकर पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। पत्रावली पर किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य नहीं है एवं जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अवैध खनन करना साबित नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उसके द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य नहीं किया गया है। उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी खातेदार को प्रतिफल अदा करने के उपरान्त पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। मौका पर्चा के अनुसार मौके पर किसी प्रकार के औजार, मशीन आदि प्राप्त नहीं हुए है एवं मौके पर अवैध खनन कार्य चालू नहीं था। हमनें अधीनस्थ

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा का अवलोकन किया गया । उक्त पर्चा मौका दिनांक 3.10.2012 को सहायक अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाडा, नायब तहसीलदार, गंगापुर, माईन्स फोरमेन, सर्वेयर, पटवारी की संयुक्त टीम द्वारा तैयार किया गया है। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि " मौके पर हल्का पटवारी महेन्द्रगढ से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त अवैध खनन कार्य ग्राम पाबूनगर के खसरा नम्बर 3764/940 रकबा 1.51 है0 जो कि बाबू लजाल पिता मांगू भील के नाम दर्ज है । मोके पर खनन कार्य बन्द पाया गया । मौके पर कोई औजार नहीं मिला। मौके से करीबन 970 टन खनिज फेल्सफार का अवैध खनन कर खनिज फेल्सफार का निर्गनम कर दिया गया है। उक्त स्थान पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। " इस रिपोर्ट से अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर खनन करना प्रमाणित नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.5.2011 को पूर्व खातेदार शंकर लाल आत्मज धन्ना भील निवासी भीलवाडा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की जा रही है।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ हो एवं राजीनामा प्रपत्र भरकर पक्षकारान ने प्रकरण का निस्तारण चाहा हो। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी की राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने से पूर्व जारी नोटिस की अपीलार्थी पर प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी। जिससे अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नहीं हो पाया एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्याालय में दिनांक 17/3/20 को उपस्थित रहे।

15. निर्णय आज दिनांक 5.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.05 16:13:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: